

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 41/2019

निर्णय दिनांक - 09.05.2019

गजराज सिंह पिता कैलाशसिंह जाति राजपुत आयु 72 वर्ष निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

- प्रार्थी

// बनाम //

1. रमेश पिता नारायणलाल जाति बिलिया कुमावत आयु वयस्क निवासी बिनौता तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. राधेश्याम पिता नारायणलाल जाति बिलिया कुमावत आयु वयस्क निवासी बिनौता तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. गोपीलाल पिता रामलाल जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी बिनौता तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
4. पन्नालाल पिता रामलाल जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी बिनौता तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
5. बद्रीलाल पिता नन्दलाल जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी बिनौता तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बिनोता पटवार हल्का बिनौता तह0 निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 115 की आराजी नं0 1482 रकबा 0.1300 हेक्टेयर, आराजी नं0 1484 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ट्युबवेल, आराजी नं0 1485 रकबा 0.3800 हेक्टेयर, आराजी नं0 1486 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, आराजी नं. 1487 रकबा 0.3400 हेक्टेयर, आराजी नं0 1488 रकबा 0.0900 हेक्टेयर गेमु चाह, आराजी नं0 1489 रकबा 0.6600 हेक्टेयर आराजी नं0 1493 रकबा 0.4000 हेक्टेयर, आराजी नं0 1494 रकबा 0.7800 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 3.0600 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1200/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा बिनोता पटवार हल्का बिनौता तह0 निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 115 की आराजी नं0 1482, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1493, 1494 कुल किता 9 कुल रकबा 3.0600 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 09.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

